ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 85-86

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

भारतीय समाज में महिलाओं की दशा एवं दिशा

प्रियंका सिंह

असि० प्रो०– मनोविज्ञान विभाग, श्री विश्वनाथ पी०जी० कॉलेज, कलान–सुल्तानपुर, (उ०प्र०) भारत

Received- 30 .11. 2018, Revised- 06 .12. 2018, Accepted - 10.12.2018 E-mail: akhileshsaroj.mspg@gmail.com

सारांश : *'वैदिक काल में महिलाओं को आदर्श स्थित प्राप्ति थी अर्थात महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। परंतु धीरे–धीरे पुरूष सत्ता सुदृढ़ होती गई, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर बनती गई। बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, बहुविवाह आदि ने अपना असभ्य रूप दिखाना शुरू कर दिया। जिसने महिलाओं का जीवन नरकीय बना दिया। वर्तमान समय में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिले हुए हैं किंतु महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन होना चाहिए था वह परिवर्तन अभी तक हुआ नहीं। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय महिलाओं की स्थित पहले क्या थी और अब उनकी दशा में क्या परिवर्तन हुए हैं को स्पष्ट करना है।*

मुख्य शब्द – परिपक्वता, बलपूर्वक, निंदनीय, सामाजिक चेतना, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुविवाह ।

किसी भी राष्ट का उत्थान महिला सहभागिता के बिना सम्भव नही हैं इस तथ्य को हमारे ऋषि–मनीषियों ने बहुत पहले समझा लिया था। वैदिक काल में महिलाओं की जो आदर्श स्थिति होनी चाहिए वह स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदृत थी। शिक्षा धर्म व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उनका महान योगदान था। महिलाओं को पुरूषों के ही समान अधिकार प्राप्त थे। नववधू गृह की सामाग्री होती थी। वह पति के साथ मिलकर घर के यान्त्रिक कार्य सम्पन्न करती थी। स्त्री और पुरूष दोनो यज्ञ रूपी रथ के दो पहिये थे। प्रायः इस काल में बाल–विवाह का प्रचलन नहीं या, क्योंकि विवाह 16 वर्ष के पश्चात् सम्पन्न होता था। वर–बधू को अपना जीवन साथी चुनने का स्वयं अधिकार था। विश्व के उपलब्ध प्राचीनतम ग्रन्थ की कतिपय ऋचाएँ विदुषी महिलाओं द्वारा रची गयी है। जिन भारतीय महिलाओं ने अपनी बौद्धिक परिपक्वता के साथ अपनी शक्ति से ऋग्वेद को समृद्ध कर महर्षियों की समकक्षता अर्जित की है उनमें अपाला, घोषा विश्वसारा रोमशा, उर्वशी सिकता, निवावरी, लोपामुद्रा आदि प्रमुख है। इस समय का समाज न तो महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार देता था और न ही शासन का। इसके कुछ विशेष कारण थे। वास्तव में भू–सम्पत्ति का अधिकारी वह था, जो शक्तिशली शत्रुओं से बलपूर्वक उसकी रक्षा करने में समर्थ हो। चूँकि यह कार्य महिलाओं के वश का नही था, इसलिए उनको सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। इसी प्रकार की असमर्थता शासन के क्षेत्र में भी रही।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा परिर्वतन आया। उसके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उसे असत्भाषी और अनृत कहा गया। अथर्ववेद में एक स्थान पर कन्या को चिन्ता का कारण कहा गया है। उसे पुरूषों के साथ यज्ञ का सोम का भाग लेने से वंचित कर उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया। हॉलाकि इस काल में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता थां उसका उपनयन होता था तथा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वह अध्ययन करती थी। किंतु कन्याओं को गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की प्रथा अब समाप्त हो गयी तथा घर पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी। अब वे केवल अपने पिता, भाई ग्रहण कर सकती थीं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। कभी–कभी वे स्वंय अपना पति चुनती थी। स्वयंवर प्रथा इसका प्रथा इसका प्रमाण है। सतीप्रथा का अभाव था तथा विधवा विवाह होते थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था लेकिन महिलाओं का सामाजिक समारोहों में जाना बन्द हो गया था। इस काल के समाज ने भी महिलाओ के धन सम्बन्धी को मान्यता प्रदान नही किया था। अल्तेकर दो कारणों को इस काल में महिलाओं की अच्छी स्थिति के लिए उत्तरदायी मानते है–पहला कारण है उस काल की राजनैतिक आवश्यकता अर्थात् युद्ध के लिए पुत्रों को उत्पन्न करने हेतु प्रजनन पर जोर एवं दूसरा धार्मिक क्रियाओं में महिलाओं की अनिवार्यता। उपनिषद काल में तो कई महिलाएँ दर्शन के क्षेत्र में अपनी विद्वता से बड़े–बड़े विद्वानों को परास्त कर देती थी। इनमें मैत्रेयी, गार्गी अत्रेयी आदि के नाम प्रमुख है। मैत्रेयी और गार्गी दोनो दार्शनिक याज्ञदल्क्य की पत्नी थी। गार्गी ने याज्ञवल्वय को भी अपनी विद्वता से अवृभित कर दिया था। दिग्गज विद्वानों को भी उसका सामना करने पर दिग्मज हो जाया करता था।

सूत्रकाल में महिलाओं की दशा में थोड़ी गिरावट आयी। इस काल में उपनयन संस्कार की आयु को ही उनकी वैवाहिक आयु मान ली गयी जिससे बालविवाह को प्रोत्साहन मिला। इसके साथ राजाओं एवं सामन्त में बहुविवाह के

अनुरूपी लेखक

प्रचलन से भी महिलाओ की सामाजिक अवस्था में गिरावट आयी। महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया। वशिष्ठ ने कहा है कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नही है बचपन में पिता युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते है। मनु ने तो यहॉ तक कहॉ कि पति के दुराचारी तथा चरित्रहीन होने की दशा में भी पत्नी का कर्त्तव्य है कि वह देवता के समान उसकी पूजा करे। महिलाओं का स्वतंत्र अस्तित्व न होकर उसके शरीर पर उसके पति का अधिकार माना गया। किन्तु कुलीन परिवारों में महिलाओं के शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती थी। गोमिल गुह्यसूत्र से वह पता चलता है कि उस समय की वधुऍ प्राय शिक्षित हुआ करती थीं। वे अपने विवाह के अवसर पर वर के साथ ही मन्त्रोच्चारण किया थीं। स्पष्ट है कि इस समय तक महिलाओं को वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार था। सूत्रकाल तक भी महिलाऍ यज्ञ सम्पादित किया थी। राम के युवराज पद पर अभिषेक के समय कौशल्या ने यज्ञ किया था। महाभारत से ज्ञात होता है कि कुन्ती अथर्ववेद में पारांगत थी। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ई0 तक का समय उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमण का समय था, जिसने महिलाओं की स्थिति को प्रथावित किया। नियोग तथा पुनर्विवाह की प्रथाऍ बन्द हो गयी। सतीप्रथा का प्रचलन इसी काल में हुआ किन्तु विधवाओं की संख्या बढ़ने से उनके भरणपोषण के लिए महिलाओं की सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ।

अल्तेकर के अनुसार इस काल में महिलाओं की अवनति का मुख्य कारण आर्यों द्वारा अनार्य महिलाओं से विवाह था। उनके अनुसार उपनयन संस्कार की समाप्ति शिक्षा की उपेक्षा तथा विवाह की आयु के घटाने का महिलाओं की स्थिति पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ा पॉचवी शताब्दी के बाद महिलाओं की स्थिति में उतरोतर ह्रास होने लगा। मध्यकाल महिलाओं के दुर्दशा का यथार्थ चित्रण करने वाला समय कहा जा सकता है। यद्यपि बारहवी शताब्दी तक कुलीन परिवार की कुछ कन्याऍ साहित्य की शिक्षा ग्रहण करती थी तथा इनमें से कुछ ने कवयित्रियॉ थी। परन्तु धीरे–धीरे पुरूषों सत्त सुदृढ़ होती गयी महिलाओं की सिथति बद से बदतर बनती गयी। बालविवाह सतीप्रथा, देवदासी प्रथा विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध बहुविवाह आदि ने अपना असभ्य रूप दिखाना शुरू कर दिया जिसने महिलाओं का जीवन नारकीय बना दिया। वस्तुत स्त्रियों की स्थिति नारकीय बनाने में उस समय शास्त्रकारों का भी प्रमुख योगदान रहा है। 19 वीं सदी की शुरूआत महिलाओं की निम्न स्थिति सुधारने की चेतना के साथ हुई। महिलाओं की निकृष्टतम स्थिति ने तत्कालीन बुद्धजीवियों की चेतन आत्मा को झकझोर कर रख दिया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर पूरो ताकत से प्रहार किया। कम्पनी की सरकार ने सहयोग किया ओर 1829 ई0 में कनून बनाकर बंगाल में तथा 1830 में तथा 1830 में मुम्बई एवं मद्रारा में सतीप्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया। दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज के माध्यम से बालविवाह एवं पर्दाप्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के सम्बन्ध में आंदोलन चलाया। उन्होने प्रमाण प्रस्तुत किया कि बेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। अंतः 1856 ई0 के हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध माने गये। महिला शिक्षा के प्रसार के लिए प्रायः सभी तात्कालिक समाज सुधारकों ने प्रयास किये। इस क्षेत्र में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। 20 वीं शती के तीसरे दशक में महिलाओं ने किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी भाग लिया। 1937 ई0 के लोकप्रिय मत्रि मण्डलों में कई महिलाऍ मंत्री या संसदीय सचिव थी। महिलाओं ने अब खुद अपने उद्धार की जिम्मेदारी सॅभाली। उन्होंने कई संगठनों एवं संस्थाओं ककी शुरूआत की जिसमें 1927 ई0 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थपना एक महत्वपूर्ण घटना थी। महर्षि डी0 के0 कर्वे ने 1907 ई0 में महिला विद्यालय की स्थापना की तथा 1915 ई0 में देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। इससे महिलाओं में समाजिक चेतना आयी तथा उन्हें उच्च शिक्षा मिली। वर्तमान समय में समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ने उनके अस्तित्व को ऊॅचाई के शिखर पर पहुॅचा दिया है। फिर भी महिला–पुरूष समानता के सिद्धान्त को सही रूप में लागू करने की दिशा अंग तक पूरी सफलता नहीं मिल पायी है। इस दिशा और प्रयास अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद 10,46.
2. वही 5, 32.
3. तैत्तरीय ब्राह्मण 3,75.
4. ऋग्वेद 10,27.
5. मैत्रायणी संहिता 3,31.
6. तैत्तरीय सहिता 6,8.
7. ए0 एस0 अल्तेकर–पोजीशन ऑफ दुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पू0–342.
8. बृहदारण्यकोपनिषद 3,8.
9. वशिष्ठ धर्मसूत्र 1–2.
10. मनुस्मृति 5–154.
11. शतपथ ब्राह्मण 4, 13.
12. गोमिल गुह्यसूत्र 19–20.
13. रामायण 2, 20.
14. महाभारत 305–20.

*****